मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
सहारनपुर रोड़, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून–248001
फोनः– 0135–6603100, 0135–6603111 फैक्सः–0135–6603103

मैनुअल – 1

संगठन की विषिष्टियां कृत्य एवं कर्तव्य

1. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का उद्देष्य :– प्राधिकरण का उद्देष्य मसूरी देहरादून विकास क्षेत्र, के विकास को नियोजन के अनुरूप प्रोत्साहित करना और सुनिष्चित करना है तथा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकरण को निर्माण, अभियन्त्रण, खनन और अन्य कार्यवाहियों को संचालित करने, जल और विद्युत की आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्य को निष्पादित करने, मलमूत्र का निस्तारण करने तथा अन्य सेवाऐं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एवं उसे अनुरक्षित करने हेतु तथा ऐसे विकास के प्रयोजनार्थ एवं उससे सम्पार्षविक प्रयोजनार्थ कोई आवष्यक अथवा अपरिहार्य कार्य करने हेतु भूमि एवं अन्य सम्पत्ति को अधिगृहित करने, धारित करने और निस्तारण करने की शक्ति होगी।

2. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का मिषन/विजन :–
   (1) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का मिषन प्राधिकरण क्षेत्र में ''सुनियोजित विकास'' है।
   (2) प्राधिकरण का विजन निम्नवत् है :–

- प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में नगर नियोजन और नगर विकास में सुधार लाने का सर्वोत्तम प्रयास करना।
- महायोजना के प्राविधानों को कडाई से लागू करना।
- विभिन्न आय वर्गो के लिये आवासीय भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराकर आवासीय समस्या का समाधान करना।
- भावी विकास को सन्तुलित सामाजिक व आर्थिक नीतियों के अनुकूल सुनिष्चित करना ताकि सम्यक व प्रगतिषील जैविक सन्तुलन तथा पर्यावरण परिरक्षा सुनिष्चित की जा सके।
- प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अनतर्गत भविष्य में जनसंख्या घनत्व तथा यातायात के बढते दबाव को दृष्टिगत रखते हुये आगामी किये जाने वाले विकास कार्यो तथा आवासीय योजनाओं में तात्विक रूप से परिवर्तन करना।

3. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :–

देहरादून विकास क्षेत्र का केन्द्रीय स्थल देहरादून नगर मसूरी पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में 77^0 55′ से 78^0 7′ पूर्वी देषान्तर तथा 30^0 15′ से 30^0 29′ उत्तरी अक्षांष के मध्य समुद्र तल से 640 मीटर से 1000 मीटर की ऊचांई पर स्थित है। नगर के पूर्व में सौंग नदी, पष्चिम में टौंस नदी, उत्तर में मसूरी विकास क्षेत्र तथा दक्षिण में वनाच्छादित षिवालिक पर्वत श्रृंखला से घिरा है। अपनी भौगोलिक स्थित, नैसर्गिक सौन्दर्य से युक्त तथा स्वास्थ्यवर्द्धक जलवायु के आकर्षण ने इस नगरीय क्षेत्र को प्रारम्भिक काल से ही विभिन्न संस्थानों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्यालय, षिक्षण संस्थाओं के साथ–साथ पर्यटन क्रियाकलापों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

दूनघाटी के अन्तर्गत स्थित देहरादून एवं मसूरी नगर समूह व 185 ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित कर राज्य सरकार ने उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या– 2581/11–5–19 (1) डी0ए0 84 दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 द्वारा मसूरी, देहरादून विकास क्षेत्र एवं तदनुरूप मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। घोषित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत क्रमषः देहरादून विकास क्षेत्र जिसमें देहरादून

नगर समूह एवं 172 ग्रामीण क्षेत्र तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं में स्थित मसूरी नगर समूह तथा 13 ग्रामीण क्षेत्रों को मसूरी विकास क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।

गठन का प्रसंग :– उत्तर प्रदेश सरकार नगर विकास अनुभाग–5 संख्या–2581(11–5–19 (1)डी0ए0)84 लखनऊ दिनांक 29.10.1984

अधिसूचना :– उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथापुनः अधिनियमित और संषोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–4 की उपधारा (7) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या–255(11–5–8419(1)डी0ए0) 84 दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 के अधीन घोषित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाषन की तिथि से निम्नलिखित रूप से प्राधिकरण का गठन करते है जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कहलायेगा :–

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

1.	आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी –	अध्यक्ष
2.	जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून –	उपाध्यक्ष
3.	राज्य सरकार का सचिव जो उस विभाग का भारसाधक हो, जिसमें तत्सम्बन्धी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्य सम्पादित हो या इनका प्रतिनिधि जो उपसचिव से कम स्तर का न हो –	पदेन सदस्य
4.	राज्य सरकार का सचिव जो वित्त विभाग का भारसाधाक हो या उनका प्रतिनिधि जो उपसचिव से कम स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
5.	राज्य सरकार का सचिव जो पर्वतीय विकास विभाग का भारसाधक हो या उनका प्रतिनिधि जो उपसचिव से कम स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
6.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी जो वरिष्ठ नगर नियोजक से कम स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
7.	प्रबन्ध निदेषक जल निगम, उत्तर प्रदेश लखनऊ अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी जो अधीक्षण अभियन्ता से कम स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
8.	प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेष, लखनऊ अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी जो अधीक्षण अभियन्ता से कम स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
9.	यथास्थिति प्रषासक नगर पालिका, देहरादून। अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून।	पदेन सदस्य
10.	यथास्थिति प्रषासक, नगरपालिका, मसूरी अध्यक्ष नगर पालिका, मसूरी।	पदेन सदस्य
11.	निदेषक, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेष लखनऊ।	पदेन सदस्य
12.	निदेषक, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, उत्तर प्रदेष, लखनऊ अथवा उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेषक से कम स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
13.	मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेष, लखनऊ या उनका प्रतिनिधि जो अरण्यपाल से कम स्तर का न हो।	पदेन सदस्य
14.	जिला उद्योग अधिकारी, देहरादून।	पदेन सदस्य

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
सहारनपुर रोड़, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून–248001
फोनः– 0135–6603100, 0135–6603111 फैक्सः–0135–6603103

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में सम्मिलित ग्रामों की सूचीः–

क्र0सं0	नगर ग्रामों के नाम
1.	देहरादून अर्वन एग्लोमरेषन (छावनी क्षेत्र छोडकर)
2.	मसूरी नगर क्षेत्र (छावनी क्षेत्र छोडकर)
3.	झाझरा
4.	सुधौवाला
5.	कन्ढोली
6.	कौल्हूपानी
7.	पौन्धा
8.	मझोन
9.	धोलास
10	हरियावाला कलां
11	बिरावडी
12	सालियावाला
13	गलजवाड़ी
14	खैरा गोपीवाला
15	सिगली गोपीवाला
16	पुरकुल गांव
17	डोम गांव
18	भण्डार गांव
19	सालागांव
20	सुगाल गांव
21	कुटाल गांव
22	घानो गांव
23	किरसाली
24	दानियों का डांडा
25	ढाकपट्टी
26	मालसी
27	सिनौला
28	बगरांल गांव
29	मक्कावाला
30	वामन गांव
31	भगवन्तपुर
32	गुनियाल गांव
33	रालौन गांव
34	उर्त्तडी गांव
35	जमनीवाला
36	विष्ट गांव
37	जमोली वाला
38	सालोनी वाला मय चक

39	चन्द्रोटी (आंषिक रूप से)
40	गंगोली पंडितवाड़ी
41	जोहड़ी
42	विजयपुर हाथी बडकलां (आंषिक रूप से)
43	विजयपुर गोपीवाला
44	गालियावाला
45	हरियावाला खुर्द
46	घंघोड़ा (आंषिक रूप से)
47	हरनोल
48	आमवाला
49	गुजरारा करनपुर
50	विलासपुर काढली (आंषिक रूप से)
51	गढ़ी (आंषिक रूप से)
52	कालागढ़ मय चक्र (आंषिक रूप से)
53	प्रेमपुर माफी (आंषिक रूप से)
54	गोपीवाला (आंषिक रूप से)
55	मल्लावाला (आंषिक)
56	बाजावाला (आंषिक रूप से)
57	गुलरानी
58	कोटरा सनतोर
59	घरतावाला मांफी
60	पंडितवाडी माफी (आंषिक रूप से)
61	शाहपुर सन्तौर
62	रांघड़वाला
63	मिट्ठी बैहड़ी (आंषिक रूप से)
64	मलूकावाला (आंषिक रूप से)
65	खैमा दोज (आंषिक रूप से)
66	हरवंसवाला (आंषिक रूप से)
67	कांवली
68	निरनजरपुर
69	सेवला कलां
70	पित्थूवाला
71	गेहूंवाला माफी
72	हरभजवाला
73	आर्केडिया ग्रान्ट
74	सेवला खुर्द
75	चन्द्रवनी खालसा
76	चन्द्रवनी ग्रान्ट
77	मोहब्बेवाला (आंषिक रूप से)
78	आसारोढी
79	तेलपुरा ग्रन्ट
80	भारूवाला ग्रान्ट

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
सहारनपुर रोड़, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून–248001
फोनः– 0135–6603100, 0135–6603111 फैक्सः–0135–6603103

81	माजरा
82	बामनवाला
83	कारगी ग्रान्ट(आंषिक रूप से)
84	अजबपुर कलां
85	बन्जरावाला माफी (आंषिक रूप से)
86	मथुरावाला (आंषिक रूप से)
87	केदारपुर
88	अजबपुर खुर्द
89	नवादा
90	हरीपुर
91	इन्द्रपुर
92	शाहनगर
93	बदरीपुर
94	चकषाहनगर
95	माजरी माफी
96	मोहक्कमपुर कलां
97	मोहक्कमपुर खुर्द
98	कुवांवाला
99	नकरौन्दा
100	बालावाला
101	हर्रावाला
102	मियावाला
103	नथुआवाला
104	चकतुन वाला
105	लाडपुर (आंषिक रूप से)
106	डालनवाला चक
107	सुन्दरवाला
108	हरचावला
109	मगलूवाला
110	नत्थनुपर
111	ननूरखैड़ा
112	आमवाला तरला
113	साधौवाला मानसिंह
114	आमवाला मन्झला
115	आमवाला उपरला
116	डांडा लखौण्ड
117	आमवाला करनपुर
118	व्रहमावाला
119	चिड़ौवाली
120	कढोली
121	डाण्डा नूरीवाला
122	डाण्डा धोरन

123	धोरन खास
124	तरला नागल
125	गुजराडा मानसिंह
126	डाण्डा खुदानेवाल
127	टिव्वानाला पानी
128	बझेर
129	अस्थल
130	जगता साना
131	गुजरमी
132	भण्डारीवाला
133	काला गांव
134	किरसाली (परवादून)
135	कुल्हान मानसिंह
136	वांडावाली
137	पुष्ताड़ी
138	खैरी मानसिंह
139	रैनीवाला
140	थैवा
141	सैफी
142	वावठा
143	सरखेत
144	टिमली मानसिंह
145	सौन्धोवाली धोरन
146	कुल्हान करनपुर
147	चालंग
148	मकरैती
149	झडीपानी
150	कैरवान करन
151	सुरावा
152	नागला हटनाला
153	मरौठा
154	पनोला
155	वगड़ा धोरन
156	मैसवाड़ गांव
157	चकसालिया वाला
158	वकराना
159	रिसाली
160	मिकरोली
161	क्यार कुल्ली भट्टा
162	चमसारी
163	नाली
164	काली गार्ड

165	सरौना
166	चौकी
167	सोराखेत
168	विधोली
169	विसनपुर
170	धूलकोट तालसा
171	मेहरे का गांव
172	धूलकोट माफी
173	बेसीवाला
174	अम्बीवाला
175	कैषोवाला
176	डौफवाला
177	पैलियो नाथूवाला
178	ईस्टहोप टाउन
179	मल्हान ग्रान्ट
180	कारवरी ग्रान्ट
181	मुहम्मदपुर वड़कली
182	फान्दूवाला
183	दूधली
184	किषनपुर
185	नागल ज्वालापुर
186	सिमलारा ग्रान्ट
187	नागल बुलन्दावाला

4. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कर्तव्य :– प्राधिकरण के किया कलापों के बारे में सही जानकारी देना तथा इन्हे प्रभावी रूप में प्रसारित करना। कार्यो में पारदर्षिता रखते हुये जनता की आकाक्षाओं एवं आवष्यकताओं के अनुरूप कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण के उद्देष्य, सुनियोजित विकास, आर्दष नगर नियोजन तथा प्रगतिषील नगर विकास की स्थापना को स्थापित करना प्राधिकरण का कर्तव्य है।

5. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मुख्य कृत्य के अन्तर्गत विकास क्षेत्र में नगर नियोजन ओर नगर विकास की उन्नति हेतु महायोजना की स्थापना एवं क्रियान्वयन, विभिन्न आय वर्गो के लिए आवासीय समस्या का समाधान करना, भावी विकास को सामाजिक व आर्थिक नीतियों के अनुकूल सन्तुलित करना तथा पर्यावरण के हरण को रोकना सम्मिलित है।

6. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

1. उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) अनुकूलन और उपान्तरण आदेष–2002 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्राधिकरण के विकास क्षेत्रान्तर्गत महायोजना व भवन उपविधियों के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत करना।
2. अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, शमन करना, ध्वस्तीकरण करना तथा सील करना एवं अभियोजन करना आदि।
3. शासन के आदेषानुसार नजूल भूमि का प्रबन्ध एवं निस्तारण।
4. प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का निर्माण एवं विकास करना, भूखण्ड एवं भवनों का आवंटन करना।
5. प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत विकास के दृष्टिगत आयुक्त गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में अवस्थापना विकास निधि समिति का गठन किया गया है। समिति की स्वीकृति उपरान्त विकास क्षेत्र में सडक, नाली, पार्क, प्रकाष व्यवस्था, वृक्षा रोपण, साईन बोर्ड लगाना आदि विकास कार्यो का कराया जाना।

7. लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा :–

(क) शासन द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा :– उत्तराखण्ड शासन, नगर विकास/आवास /अभियन्त्रण शाखा, संख्या–213–नं0वि0/आ0/ अभि0– 2001–79आ0/2001 देहरादून, दिनांक 15 फरवरी, 2001

अधिसूचना :– उत्तर प्रदेष नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11, 1973 जैसा कि उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या–30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया है) की धारा–4 की उपधारा–7 के अन्तर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के गठन सम्बन्धी उत्तर प्रदेष शासन की अधिसूचना संख्या–602/9–आ–5–99–363डी0ए0/93 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 1999 को एतद् द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपाधारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का निम्नवत् पुर्नगठन करते है :–

–: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण :–

1. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी, उत्तराखण्ड –	अध्यक्ष
2. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण –	उपाध्यक्ष
3. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य (पदेन)
4. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य (पदेन)
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड	सदस्य (पदेन)
6. मुख्य अभियन्ता, जल निगम, उत्तराखण्ड	सदस्य (पदेन)
7. मुख्य नगर अधिकारी, देहरादून।	सदस्य (पदेन)
8. जिलाधिकारी, देहरादून।	सदस्य (पदेन)

आमंत्रित सदस्य :–

1. डा0 उदय सिंह पुण्डीर, सभासद, नगर निगम, देहरादून । नामित सदस्य
2. श्री सुषील गुप्ता, सभासद, नगर निगम, देहरादून। नामित सदस्य

(ख) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण हेतु स्वीकृत पदों का विवरण :–
शासनादेष सं0 3880/9–आ0–5–2000–70ई/98 दिनांक 9.10.2002

कम सं0	संवर्ग का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान में कार्यरत	अभ्युक्ति
1		उपाध्यक्ष	1	1	प्रतिनियुक्ति पर
2		सचिव	1	1	प्रतिनियुक्ति पर
3		मुख्य लेखाधिकारी	1	1	प्रतिनियुक्ति पर
	केन्द्रीयत सेवा अभियन्त्रण संवर्ग				
4		अधिशासी अभियन्ता	1	1	
5		सहायक अभियन्ता	3	3	
6		अवर अभियन्ता	16	6	
	नियोजन संवर्ग				
7		मुख्य नगर नियोजक	1	0	
8		नगर नियोजक	1	1	
9		स्हायक नगर नियोजक	1	0	
	प्रषासनिक संवर्ग				
10		संयुक्त सचिव	1	0	
11		उप सचिव	1	0	
		अनुसचिव/जनसम्पर्क अधि0	1	1	
	लेखा संवर्ग				
12		लेखाधिकारी	1	0	
13		लेखाकार	1	0	
14		कार्यालय अधीक्षक	1	0	
	अकेन्द्रीयत सेवा के पद				
15		लेखपाल	3	1	
16		ड्राफटमैन	3	2	
17		सर्वेयर	3	1	
18		ट्रेसर	3	1	
19		आशुलिपिक	5	2	
20		उद्यान निरीक्षक	1	1	
21		विधि निरीक्षक/सहा0 निरी0	1	1	
22		रोकड़िया	2	2	
23		लेखा लिपिक	2	2	
24		प्रधान/मुख्य लिपिक	1	1	
25		वरिष्ठ लिपिक	1	0	
26		राजस्व निरीक्षक	0	1	उक्त शासनादेष में पद सम्मिलित न होने के कारण शासन को अनुरोध पत्र भेजा गया है।
27		सुपर वाईजर	0	1	उ0प्र0 शासन द्वारा विनियमिति करण किया गया

28		कनिष्ठ लिपिक / टंकक	9	10	एक कर्मी मृतक आश्रित के रूप में कार्यरत है।
29		वाहन चालक	0	3	उक्त शासनादेष में पद सम्मिलित न होने के कारण शासन को अनुरोध पत्र भेजा गया है।
30		चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पद	17	16	
		योग	83	58	

8. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षायें :–
   1. सभी देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक प्राधिकरण को करना।
   2. सम्पत्ति आवंटन की शर्तो का पूर्ण रूपेण अनुपालन एवं सम्पत्ति का उचित रख–रखाव करना।
   3. अनाधिकृत व खुले क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु भूखण्ड क्रय न करना।
   4. भवन मानचित्र स्वीकृत करवाकर ही निर्माण करें। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करें।
   5. अवैध निर्माण होने की दषा में प्राधिकरण को सूचित करें।
   6. सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण होनें की दषा में प्राधिकरण को सूचित करें।
   7. अनुचित लाभ के लिये दबाव व सिफारिष का प्रयास न करना।

9. जन सहयोग सुनिष्चित करने की विधि / व्यवस्था :–
   1. प्राधिकरण द्वारा आवेदकों से ली जाने वाली धनराषियों को प्राप्त करने के लिये प्राधिकरण कार्यालय, 12 प्रीतम रोड़ देहरादून पर कार्यालय अवधि प्रातः 10.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक नकद अथवा ड्राफ्ट द्वारा प्राप्तियों को स्वीकार किया जाता है।
   2. प्राधिकरण के आवंटियों की सुविधा हेतु प्राधिकरण परिसर स्थित बैंक आफ बडौदा के विस्तार पटल पर योजना वार धनराषि जमा कराने की व्यवस्था सुलभ है।
   3. मसूरी विकास क्षेत्र से सम्बन्धित प्राप्तियों को षिविर कार्यालय मसूरी में प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है।
   4. प्राधिकरण विकास क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित उपनियमों की पुस्तिका प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय में निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध है।
   5. नजूल नीति की पुस्तिका मुख्य कार्यालय में निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध है।
   6. सम्पत्तियों के आवंटन हेतु आवेदकों की उपस्थिति में लाटरी ड्रा एवं नीलामी का आयोजन किया जाता है।
   7. अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण में डाक अनुभाग की व्यवस्था है तथा यह सूचनाऐं प्राधिकरण के दूरभाष पर भी दी जा सकती है, यह सुविधा मसूरी षिविर कार्यालय में भी उपलब्ध है।

10. जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं षिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :– षिकायतों एवं अनुश्रवण हेतु प्राधिकरण के उच्च अधिकारी प्राधिकरण के कार्यालय 12, प्रीतम रोड़, देहरादून पर कार्यालय समय तथा कार्यालय दिवसों पर उपलब्ध रहते है, उनकी अनुपस्थिति में नामित अधिकारी इस दायित्व का निर्वहन करते है। मसूरी विकास क्षेत्र हेतु यह दायित्व संयुक्त सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण / उपजिलाधिकारी मसूरी के द्वारा निर्वहन किया जाता है।

11. मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :–

मुख्य कार्यालय – सहारनपुर रोड़, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून–248001
फोनः– 0135–6603100, 0135–6603111 फैक्सः–0135–6603103
ई0मेल – पदवि / उककंवदसपदमण्बवउ एवेब– उककंवदसपदमण्बवउ

(2) षिविर कार्यालय :– वेकरी हिल, निकट घण्टाघर, मसूरी।
दूरभाष :– 0135–2632472

12. कार्यालय खुलने का समय :–

प्रातः – 10.00 बजे

13. कार्यालय बन्द होने का समय :–

सायं – 5.00 बजे